महत्वपूर्ण / बजट 2022-2023

संख्या : 8/2022/बी-1-282/दस-2022-12(2)/2022

प्रेषक,

एस. राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनाँक : 06 अप्रैल, 2022**

विषय : वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट अनुमानों को तैयार किया जाना ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये प्रस्तुत अन्तरिम बजट, जिसमें वचनबद्ध व्यय एवं चालू योजनाओं के लिये प्रावधान है, के आधार पर प्रथम चार माहों (अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) का लेखानुदान लिया गया है तथा वर्ष 2022-2023 के अन्तरिम बजट का अनुदानवार / मदवार विस्तृत विवरण वित्त विभाग की वेब साइट https://budget.up.nic.in पर उपलब्ध है ।

2- वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट अनुमानों को तैयार करने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या 8/2021/बी-1-633/दस-2021-12(2)/2022, दिनाँक 17 सितम्बर, 2021 द्वारा जारी किये गये थे, जिसमें दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट अनुमानों को तैयार करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाना आवश्यक है -

(1) विभागीय बजट अनुमानों को तैयार करते समय सरकार की प्राथमिकताओं एवं प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखकर कार्यवाही की जाय । इससे जहाँ एक ओर पूर्व प्रेषित अनुमानों में संशोधन किये जाने होंगे वहीं 'व्यय की नई मदों' के प्रस्ताव बजट में तद्नुसार सम्मिलित किये जाने होंगे । अतः इस सम्बन्ध में आवश्यकता का वास्तविक आंकलन कर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर बजट प्रस्ताव तैयार किये जायं ।

(2) केन्द्र सरकार का वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट प्रस्तुत हो चुका है, जिसके अनुसार केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य सरकार को केन्द्राँश का आवंटन प्राप्त होगा ।

अतः सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग शीघ्रता से केन्द्र सरकार में अपने विभाग में संचालित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के केन्द्राँश की जानकारी प्राप्त कर लें और तद्नुसार केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु बजट प्रावधान (केन्द्राँश एवं राज्याँश), अपने विभागीय अनुदान, अनुसूचित जाति सब प्लान के लिये अनुदान संख्या-83 एवं ट्राइबल सब प्लान के लिये अनुदान संख्या-81 में कराया जाना सुनिश्चित करें ।

(3) ऐसी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये बजट प्रावधान न कराया जाय, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया हो अथवा योजना की धनराशि राज्य के बजट के माध्यम से न दी जा रही हो ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अतः आपसे अनुरोध है कि सरकार की प्राथमिकताओं एवं प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखकर वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में सम्मिलित किये जाने वाले अपने सभी प्रस्ताव सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर दिनाँक 20 अप्रैल, 2022 तक अनिवार्य रूप से वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें । बजट प्रस्ताव जैसे-जैसे तैयार होते जायें, उन्हें तुरन्त वित्त विभाग को प्रेषित कर दिया जाये और निर्धारित अन्तिम तिथि (दिनाँक 20 अप्रैल, 2022) तक प्रेषित किये जाने के लिये रोके न रखा जाय । इससे वित्त विभाग को प्रस्तावों के परीक्षण के लिये पर्याप्त समय मिल सकेगा और यदि किसी अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता होगी तो उसे विभाग से माँगा जा सकेगा ।

भवदीया,

एस. राधा चौहान

अपर मुख्य सचिव, वित्त

एवं वित्त आयुक्त ।

संख्या : 8/2022/बी-1-282(1)/दस-2022-12(2)/2022, तददिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।**
2. **प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ / प्रयागराज ।**
3. **अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।**
4. **प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।**
5. **अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग (राज्य योजना आयोग) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन ।**
6. **प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।**
7. **निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ ।**
8. **निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।**
9. **समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।**
10. **समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।**
11. **वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग तथा उनसे सम्बद्ध अधिकारी ।**
12. **सचिवालय के समस्त अनुभागों को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि प्राक्कलन अधिकारियों द्वारा बजट अनुमान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज कार्यालय के बजट अनुभाग को भी ससमय भेजे जायें । बजट अनुमान भेजते समय वे कृपया इस बात को भी सुनिश्चित कर लें कि इस शासनादेश में निहित समस्त अनुदेशों का पालन हो गया है ।**
13. **विभागीय आदेश पत्रावली ।**

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित

विशेष सचिव, वित्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in